न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/256

नन्दलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।

बनाम

1. गजानन्द आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
2. पुरूषोत्तम आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती पार्वती विधवा रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/279

पुरूषोत्तम आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपील संख्या 18/256 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/279 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश भूत्या शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 18/256 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/279 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ होने तथा समान पक्षकारान होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट नन्दलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 281 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 282 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 390 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 391 रकबा 01 बिस्वा कायम हुए हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गजानन्द एवं पुरूषोत्तम के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादीगण का इस आराजी पर कोई अधिकार नहीं रहा है । वादी उक्त भूमि पर कानूनी रूप से खातेदार हैं । वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पिता श्री हजारी लाल को सन् 1965 के पूर्व ही बेचान कर दिया था और कब्जा संभला दिया था । तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं । वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त वादग्रस्त आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी में न तो स्वयं अतिक्रमण करें और न ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/256 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ने वादी के पिता हजारी लाल को सन् 1965 के पूर्व ही बेचान कर दी थी और भूमि पर कब्जा दे दिया था तब से ही वादी के पिता एवं उनके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है । वादी अपीलान्ट ने अपने वाद को दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से साबित कर दिया था । वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार प्राप्त करने का अधिकार हो गया है । न्यायालय ने वादी का कब्जा प्रतिवादीगण के अधौली के बतौर नहीं माना है । स्वयं प्रतिवादीगण वादी को बतौर अतिक्रमी काबिज होना कथन करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाबदावे के कथन को खारिज कर दिया । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा लेने

का अधिकार समाप्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/279 पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर तो वादी रेस्पोडेन्ट का वाद खारिज किया है और उनका कब्जा मुखालफाना एवं सन् 1965 से पूर्व का कब्जा होना नहीं माना है फिर भी वादी रेस्पोडेन्ट की स्थिति अतिक्रमी की नहीं मानी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संशोधित होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 04 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध तय करने में भूल की है । प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुती हेतु आदेश 06 नियम 17 सीपीसी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 03 व 04 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 में संशोधन किया जावे तथा तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादी अपीलान्ट के पक्ष में किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा दिलाया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपील संख्या 18/256 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादी ने वादग्रस्त आराजी के बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा का सन् 1987 में अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था और कथन किया था कि प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ने उक्त भूमि सन् 1965 में वादी के पिता श्री हजारी लाल जी को बेचान कर दी थी और विक्रय पत्र दिनांक 29.03.1965 को निष्पादित हुआ था । इसमे पहले वादी के पिता हजारी लाल और उनके बाद वादी इस भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त हैं । वादी इस आराजी का खातेदार कृषक बन चुके हैं । प्रतिवादीगण को इस आराजी के बाबत् कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी खातेदार बन चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया । तनकीयात कायम करने के उपरान्त दावा वादी खारिज किया जो त्रुटिपूर्ण है । वादी ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित किया था । सन् 1965 में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था । आराजी पर इससे पूर्व से ही वादी एवं उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है जिसके समर्थन में विक्रय पत्र प्रदर्श– 09 और लगान की रसीदें प्रदर्श– 01 लगायत 08 पेश की हैं । मौखिक साक्ष्य से भी इनकी पुष्टि हुई थी । प्रतिवादीगण ने भी इस आराजी पर वादी के कब्जे को स्वीकार किया था । अधौली से कब्जा साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसके बाबत् कोई साक्ष्य उनके द्वारा पेश नहीं की गई । तनकी नम्बर 04 प्रतिवादीगण के खिलाफ तय पायी गई है ऐसी स्थिति में वादीगण के कथन को सत्य माना जाना चाहिए जिसको अस्वीकार करने में त्रुटि की है । प्रदर्श–09 पर्याप्त स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है जिसमें कब्जा दिये जाने और प्रतिफल दिया जाना अंकित है । दावा प्रस्तुत करने के 12 वर्ष से अधिक समय से वादी एवं उनके पिता का कब्जा प्रतिवादीगण की जानकारी से प्रमाणित है । प्रतिवादीगण के कब्जा प्राप्त करने की अवधि सामाप्त हो चुकी

है । वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना प्रमाणित है । प्रतिवादीगण ने स्टाम्प लिखे जाने से इंकार नहीं किया है । लिखे गये विक्रय पत्र को कब्जे के प्रमाणस्वरूप साक्ष्य में पढा जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2003 (एससी) पेज 1905, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 1018, आरआरडी 1988 पेज 17, आरआरडी 1988 पेज 439, आरआरडी 2007 पेज 915, आरआरडी 2014 (4) पेज 1315, 2003 आरआरडी (सप्ली) पेज 45 उद्धरत की ।

11. अपील संख्या 18/256 के रेस्पोडेन्ट एवं अपील संख्या 18/279 के अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 को विधिक रूप से वादीगण के खिलाफ तय कर दावा खारिज किया है ऐसी स्थिति में वादी का अतिक्रमी होना और अधौली से जुपवाना स्वतः ही साबित हो जाता है। अधौली पर जुपवाने के लिए साधारणतया कोई इकरारनामा नहीं लिखा जाता है, अनाज का आधा–आधा लेना होता है खर्चे को कम करने के बाद । अधौली का कथन प्रतिवादी एवं उसके गवाहों ने अपने बयानों में किया है । वादी का स्थगन प्रार्थना पत्र सन् 1990 में खारिज हो गया था, प्रतिवादी ने तब कब्जा कर लिया था और 10 वर्ष तक काश्त की थी । तद्उपरान्त वादी के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया । सन् 2002 में अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र देकर काउन्टर क्लेम के रूप में कब्जा वापस लेने का आवेदन किया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है । इस अपील के माध्यम से कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है । वादी के द्वारा प्रतिवादी अभिभाषक की अनुपस्थिति में और प्रतिवादी गजानन्द के देहान्त के उपरान्त बिना कोई प्रार्थना पत्र कायम मुकामान दिये प्रदर्श– 09 अपंजीकृत दस्तावेज को प्रदर्श करवाया है जो अवैध है । विक्रय पत्र अवयस्क के द्वारा निष्पादित होने की स्थिति में कानून की नजर में शून्य है । वादी द्वारा सन् 1965 से लगातार कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाये हैं । सिर्फ 08 वर्ष की लगान की रसीदें पेश की हैं । सन् 1965 से पूर्व का कब्जा प्रमाणित नहीं हो सकता क्योंकि वादी एवं उनके गवाह 50–55 की उम्र के हैं । अधिकार घोषणा के दावे में 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जो कि आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (रेवेन्यू) पेज 129, 1993 एसीसी पेज 379, आरआरटी 2017 पेज 1277, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 1018, डीएनजे 2013 (रेवेन्यू) पेज 66, डीएनजे 2016 (3) (राज0) पेज 1271 उद्धरत की ।

12. अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि बयान पीडब्ल्यू–1 दिनांक 27.12.1990 को अधूरे थे दिनांक 18.07.1996 को पुनः मुख्य परीक्षण हुआ मृत्यु दिनांक 22.03.1996 को हुई थी उसके उपरान्त दिनांक 18.07.1996 को मुख्य परीक्षण हुआ जिसमें यह कथन किया गया कि एक माह पहले गजानन्द की मृत्यु हो चुकी थी इसके उपरान्त बयान रोक दिये गये थे । आराजी का बेचान सन् 1965 को किया गया उससे पहले आराजी रहन थी । कब्जा अपीलान्ट वादी का स्वीकृत है । रेस्पोडेन्ट की संशोधन की दरखास्त खारिज हो चुकी है । रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम नहीं है । संशोधन की दरखास्त सन् 2002 में पेश की है जबकि जवाब सन् 1988 में पेश कर दिया था । 14 वर्ष बाद संशोधन की दरखास्त पेश की थी । वादी की ओर से बयान पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं जिसमें कब्जा वादीगण का सभी गवाहान ने तस्दीक किया है । पुरूषोत्तम वयस्क होने के उपरान्त 03 वर्ष के भीतर आपत्ति कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की है । दस्तावेज का निष्पादन हुआ है और पर्याप्त स्टाम्प पर

निष्पादित है सिर्फ पंजीकृत नहीं हुआ है । तनकीयात का विवेचन विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी नन्दलाल के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की गई ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात में रसीदात लगान प्रदर्श– 01 लगायत 08 संलग्न हैं । असल विक्रय पत्र प्रदर्श–09 जो कि अपंजीकृत है संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2041–44 प्रदर्श– 10 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी गजानन्द, पुरूषोत्तम पिसरान रामनारायण के खाते में दर्ज है ।

15. वादी के द्वारा बयान नन्दलाल पीडब्ल्यू–1, गोपाल पीडब्ल्यू–2, बीमानाथ पीडब्ल्यू–3, दुर्गालाल एवं भोजराज कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान पुरूषोत्तम डीडब्ल्यू–1, सत्यनारायण डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं।

17. अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा का दावा इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा सन् 1965 में क्रय की थी और 1965 के पूर्व से ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । अतः उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र प्रदर्श–09 का अवलोकन किया गया । प्रदर्श– 09 विक्रय पत्र अपंजीकृत है और ऐसा दस्तावेज जो पंजीकृत नहीं है उसके आधार पर राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं है । इस क्रम में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2017 (रेवेन्यू) पेज 129 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश किया गया दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है। विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2016 (3) (राज0) पेज 1271 भी यहॉ चस्पा होती है जिसमें यह होल्ड किया गया है कि दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है निर्णित करने हेतु दस्तावेज का स्वयं प्रदर्श अंकित करना पर्याप्त नहीं है । विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर एआईआर 2003 (एससी) पेज 1905 एवं डीएनजे 2015 (एससी) पेज 1018 चहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि उक्त नजीर का प्रकरण राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित नहीं था । आरआरडी 1988 पेज 17, आरआरडी 2007 पेज 915 के पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच व माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट संख्या 18/256 खारिज होने योग्य है ।

18. प्रकरण में एक अपील प्रतिवादी की ओर से भी पेश की गई है और इस अपील में यह कथन किया गया है कि तनकी नम्बर 03 और 04 का निर्णय विधि– विरूद्ध है जिसको खारिज किया जावे और काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए कब्जा दिलाया जावे । प्रतिवादी की ओर से पेश इस अपील के क्रम में हमारा यह मत है कि प्रतिवादी का अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम नहीं था उनके द्वारा अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसको अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया था और इस निर्णय को किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादी के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा पेश नहीं किया गया है । जबतक प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम न हो तब तक उन्हें वादग्रस्त आराजी का कब्जा नहीं दिलाया जा सकता ।

19. तनकी नम्बर 03 और 04 के समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादी विगत वर्ष से अतिक्रमणकारी हैं अथवा उन्होंने आराजी वादी को अधौली में जुपाई हो । इन तथ्यों के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 03 और 04 प्रतिवादी के खिलाफ तय करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । तद्नुसार दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/256 एवं अपील संख्या 18/279 खारिज होने योग्य हैं ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 18/256 एवं अपील संख्या 18/279 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

21. निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/256

नन्दलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. गजानन्द आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
2. पुरूषोत्तम आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती पार्वती विधवा रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 18/279

पुरूषोत्तम आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

नन्दलाल आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. गजानन्द आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
2. पुरूषोत्तम आत्मज रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्रीमती पार्वती विधवा रामनारायण ब्राह्मण निवासी अन्धेड (मृतक) ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.02.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता अपील संख्या 18/256 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/279 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अभिभाषक श्री दिनेश भूत्या अपील संख्या 18/256 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/279 में अपीलान्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट संख्या 18/256 एवं अपील संख्या 18/279 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

24/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा